पत्र संख्या–१३/वि०मं०–४५/२०२३ सा०–394/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

सत्यम सहाय,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना ।

पटना–१५, दिनांक – 02 नवम्बर, २०२३

विषय – मा० श्रीमती निवेदिता सिंह (मनोनीत), स०वि०प० द्वारा बिहार विधान परिषद् के 205 वें सत्र में पूछा जाने वाला ऑनलाईन तारांकित प्रश्न संख्या–१/२०५/१४५ के हस्तांतरण के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक बिहार विधान परिषद् सचिवालय के बेवसाईट से प्राप्त ऑन–लाईन तारांकित प्रश्न संख्या–१/२०५/१४५ द्वारा इस विभाग के लॉगिन में प्राप्त है । आलोच्य प्रश्न का विषयवस्तु "पंचायती राज विभाग ग्राम कचहरी, सचिव नियमावली, २०१४ के नियम–१८ (५) में संशोधन एवं संविदा नियोजन संबंधी उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा को ग्राम कचहरी सचिवों के लिए लागू करने से संबंधित है ।" उक्त प्रश्न की मूल प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है ।

अनुरोध है कि उक्त तारांकित प्रश्न का उत्तर ससमय बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय तथा इसकी प्रति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को भी दी जाए। इस आशय की सूचना बिहार विधान परिषद् सचिवालय, बिहार, पटना को दी जा रही है ।

अनु०–यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

विशेष कार्य पदाधिकारी ।

ज्ञापांक–१३/वि०मं०–४५/२०२३ सा०–394/पटना–१५, दिनांक 02 नवम्बर २०२३

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाध्किारी, बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना के वेबसाईट से प्राप्त ऑन–लाईन तारांकित प्रश्न संख्या–१/२०५/१४५ के क्रम में प्रेषित तथा अनुरोध है कि उक्त तारांकित प्रश्न को सामान्य प्रशासन विभाग, पटना की सूची से विलोपित कर पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की सूची में रखने की कृपा की जाय ।

2. उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, पटना / मा० विभागीय प्रभारी मंत्री (सामान्य प्रशासन विभाग) के आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

विशेष कार्य पदाधिकारी ।

ज्ञापांक–१३/वि०मं०–४५/२०२३ सा०–394/पटना–१५, दिनांक 02 नवम्बर, २०२३

प्रतिलिपि – आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध है कि बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

विशेष कार्य पदाधिकारी ।

(1)

Bihar Vidhan Parishad Question

1/205/145

ग्राम कचहरी सचिव पर अनुशंसा लागू

20/10/2023 01/11/2023

*1/205/145 श्रीमती निवेदिता सिंह (मनोनीत)

सामान्य प्रशासन

(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में संविदा पर नियोजित संविदा कर्मियों की सेवा नियमित करने हेतु वर्ष 2015 में पूर्व मुख्य सचिव भी अशोक कुमार चौधरी की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया, जिन्होंने दिनांक- 07.08.2018 को अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंपा;

(ख) क्या यह सही है कि उच्चस्तरीय जांच समिति के प्रतिवेदन के आधार पर पंचायती राज विभाग ग्राम कचहरी सचिव नियमावली 2014 के नियम 18(5) में संशोधन कर 60 वर्ष तक करने का प्रावधान किया गया;

(ग) क्या यह सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 12534 दिनांक 17.09.2018 में उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा को ग्राम कचहरी सचिवों के लिए लागू नहीं किया गया;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपरोक्त उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा को ग्राम कचहरी सचिवों के लिए लागू करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

S.O-03
D.No-4083/2023
01/11/2023